रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2005/ज्येष्ठ 6, 1927
No. 224] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2005/JYAISTHA 6, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 7 मई, 2005

सं. फेमा 134/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 336(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यापार के अन्य स्थान की स्थापना के निषेध, रोक और विनियमन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएगी।

(ii) ये अप्रैल 25, 2005 प्रभाव से लागू होंगी*।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) विनियमावली, 2000 में विनियम 3 में वर्तमान परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए

"बशर्ते आगे किसी बीमा कंपनी के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी कंपनी ने भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया है।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) * यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39 जारी किया था।

(ii) प्रधान विनियमावली मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.408(E) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नानुसार आशोधित की गई :-

जीएसआर सं. 698(E) दिनांक 01/09/2003
जीएसआर सं. 847(E) दिनांक 29/10/2003

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th May, 2005

No. FEMA 134/2005-RB

Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 336(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, and in partial modification of its Notification No. 22/2000-RB dated 3rd May, 2000 the Reserve Bank makes the following regulations to prohibit, restrict and regulate establishment in India of a branch or office or other place of business by a person resident outside India, namely :—

1. Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of branch or office or other place of business) (Amendment) Regulations, 2005

(ii) They shall come into force with effect from April 25, 2005*.

2. Amendment to the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000 in Regulation 3 after the existing proviso the following proviso may be added

'Provided further that no approval shall be necessary for an insurance company, if such company has obtained approval from the Insurance Regulatory and Development Authority established under section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, for establishing a Liaison Office in India '.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

Foot Note:

(i) * This has been mentioned as the date on which Reserve Bank of India had issued A.P (DIR Series) Circular No. 39 to Authorised Banks Dealing in Foreign Exchange.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 408(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :-

GSR No. 698(E) dated 01/09/2003
GSR No. 847(E) dated 29/10/2003

अधिसूचना

मुम्बई, 17 मई, 2005

सं. फेमा 135/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूमि का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 337(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 7 जुलाई, 2004 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूमि का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2005 कहलाएगी।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2004 में :-

(i) विनियम 6 में, उप-विनियम 2 में, खण्ड (i) के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(क) "स्पष्टीकरण : शुद्ध मालियत के 100 प्रतिशत की सीमा के अंदर "कुल वित्तीय प्रतिबद्धता" तय करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को गिना जाएगा, अर्थात् :-"

(ख) उप-खण्ड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(क) बाज़ार खरीदों द्वारा विप्रेषण, नामतः मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में; भूटान के मामले में मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा समकक्ष भारतीय रुपए में किया गया निवेश; नेपाल के मामले में केवल भारतीय रुपए में किया गया निवेश।"

(ii) विनियम 15 में, खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए।

"बशर्ते भूटान में मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के मामले में, चूंकि उस पर प्राप्य सभी राशियां, जिसमें विनिवेश/ विघटन/ समापन से प्राप्य राशियां शामिल हैं, प्रत्यावर्तनीय होती हैं, वसूली तथा प्रत्यावर्तन मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ही किए जाएंगे।"

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-III]

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली मई 8, 2000 के सरकारी राजपत्र जी.एस.आर. सं.456(E) में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी जिसे नवंबर 19, 2004 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित जी.एस.आर.सं.757(E) द्वारा अधिक्रमित किया गया है और तत्पश्चात् अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर. सं. 220(E) द्वारा संशोधित किया गया है।

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2005

No. FEMA 135/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 337(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 6, and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated 7th July, 2004, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004, namely :—

1. Short title and Commencement :-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security)(Second Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations :-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 :-

(i) In Regulation 6, in sub-regulation 2, in the Explanation to clause

(i) the following shall be substituted :

(a) "Explanation: For the purpose of determining 'total financial commitment' within the limit of 100% of the net worth, the following shall be reckoned, namely :-"

(b) For sub clause (a), the following shall be substituted :

"(a) remittance by market purchases, namely in freely convertible currencies; in case of Bhutan, investment made in freely convertible currencies or equivalent Indian Rupees; in case of Nepal investment made only in Indian Rupees."

(ii) In Regulation 15, after clause (ii) the following proviso may be added.

"Provided that in the case of investment in securities in Bhutan made in freely convertible currency, all dues receivable thereon as are repatriable, including those on account of disinvestment/dissolution/winding up, shall be realised and repatriated in freely convertible currency only."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

FOOT NOTE :-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.456(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) which has been superseded vide G.S.R.No.757(E) published in the Official Gazette dated November 19, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. No. 220(E) **dated** dated 7 April, 2005.

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 12 मई, 2005

सा.का.नि. 338 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(i) देखें सा.का.नि. 757(अ) दिनांक नवंबर 19, 2004 में प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 दिनांक जुलाई 7, 2004 में,

(1) विनियम 1 में उप-विनियम (i) में शब्द "(संशोधन)" उसमें कोष्टकों के साथ, और

(2) अधिसूचना के अन्त में दिए गए "पाद टिप्पणी" को हटा दिया जाएगा।

कि उपर्युक्त रूप में सुधारे गए और आशोधित किए गए प्रधान विनियम पूर्णतः लागू और प्रभावी रहेंगे।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड-III]

1622 9/2005-2

एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th May, 2005

G.S.R. 338(E).—In the Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) *vide* G.S.R. 757(E) dated November 19, 2004,

1) in Sub-Regulation (i) in Regulation 1 the word "(Amendment)" with the brackets thereto, and

2) the "Foot Note" at the end of the Notification shall be deleted.

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.